# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 490/2007</u>

श्री इंदरचंद सोनी,
सामाजिक कार्यकर्ता,
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
( दिनांक 18 मार्च 2008 )

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचंद सोनी के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग को जानकारी प्रदान करने के लिए दिनांक 11–09–2006 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त न होने के कारण दिनांक 09–01–2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण की सुनवाई न करने तथा कोई आदेश पारित नहीं करने के कारण दिनांक 16–05–2007 को छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

**2/** आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 24–07–2007 को अपीलार्थी को 15 दिन में निःशुल्क जानकारी दिये जाने तथा जानकारी हेतु विलम्ब के लिए जन सूचना अधिकारी को 10,000/–रुपये का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

**3/** जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया है कि आवेदन पत्र दिनांक 11–09–2006 उनके द्वारा संबंधित शाखा लिपिक को भेजा गया। दिनांक 26–09–2007 को शाखा लिपिक के द्वारा प्रस्तुत होने पर सभी शाखाओं को जानकारी भेजने हेतु पत्र लिखे गये। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, स्मरण पत्र भी भेजे गये। तथा संबंधित शाखाओं को मौखिक रूप से स्मरण कराया जाता रहा। दिनांक 13–12–2006, 30–12–2006 को स्मरण–पत्र भेजा गया। जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 08–08–2007 को अपीलार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध करा दी गई। उसके द्वारा यह बतलाया गया कि जानकारी विलम्ब से देने के लिये व्यक्तिगत रूप से वह दोषी

नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा समय पर सभी शाखा प्रभारियों को पत्र भेजे गये थे तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी स्मरण कराया गया था। जानकारी प्राप्त होते ही अपीलार्थी को जानकारी दे दी गई। उसने यह भी बतलाया कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर प्रथम अपील प्रस्तुत नहीं की। उसके द्वारा मौखिक तर्कों में बतलाया गया कि अपीलार्थी ने उसे परेशान करने की नियत से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से अनेक प्रकार की जानकारियाँ माँगी है, जिनका कि कोई औचित्य नहीं है। अनेक आवेदन–पत्र आवेदक के द्वारा दिये गये हैं, जिससे कि भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। आवेदक का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना नहीं वरन् जन सूचना अधिकारी एवं विभाग के अधिकारियों को परेशान करना है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई है, अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिये।

**4/** प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग कार्यालय को विभिन्न प्रकार की जानकारियों हेतु आवेदन–पत्र दिये हैं। यहां तक कि एक ही प्रकार की जानकारी अनेक आवेदन–पत्रों में चाही है। इसी प्रकरण में आवेदन–पत्र दिनांक 11–09–2006 में आवेदक ने दुर्ग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ, अटैच, समस्त चिकित्सकों की सूची, उनके आदेश की प्रतियाँ, जन सूचना अधिकारी को कितने आवेदन प्राप्त हुये, दिनांक 01–01–2004 से स्थानांतरित समस्त चिकित्सकों की सूची, कार्यमुक्त हुये चिकित्सकों की सूची, कार्यमुक्त न हुये चिकित्सकों की सूची, कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया, इसकी जानकारी आदि चाही है। इसी प्रकार की जानकारी अपीलार्थी ने प्रकरण क्रमांक 279/2007 में आवेदन पत्र दिनांक 09–01–2007 के बिन्दु क्रमांक–5, 6, 7, 8 एवं 9 में भी चाही थी। केवल समय एवं भाषा का ही अंतर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना नहीं वरन् किसी न किसी प्रकार से जन सूचना अधिकारी को किन्हीं विशेष कारणवश परेशान करना है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा यद्यपि जानकारी देने में विलम्ब हुआ है, किन्तु उसके लिये वह दोषी नहीं है। इनके द्वारा संबंधित शाखा प्रभारियों को पत्र लिखे गये। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से भी अनुरोध किया गया। जानकारी प्राप्त होते ही अपीलार्थी को प्रदान कर दी गई। अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं देना अथवा विलम्ब से देने का आरोप सिद्ध नहीं होता है, जिससे उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है। जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध जारी किया गया अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है।

**5/** प्रकरण में यह अवश्य प्रतीत होता है कि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में कर्मचारियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों को गंभीरता से लिया जाना चाहिये। यह जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कर्तव्य है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित अवधि में जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत की जावे। इस प्रकरण में विलम्ब से जानकारी

भेजने के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध धारा–20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाती है। इस आदेश की प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी भेजी जावे। प्रथम अपील में सुनवाई न करने के कारण एक अन्य प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये संचालक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें को निर्देशित किया जा चुका है। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कृपया यह देखें कि आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

6/ चूँकि अपीलार्थी को वांछित सभी जानकारी प्राप्त हो गई हैं। अतः अब इस प्रकरण में किसी आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त